**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्या 2014/00381 [illegible]

1. गुरबचन सिंह
2. हरजीत सिंह
3. जगजीत सिंह

पिसरान [illegible] सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलाण्टस

बनाम

1. गुरनाम सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। (फौत)

   1/1. गुड्डी उर्फ नसीबकौर पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति कम्हार सिख वीपीओ ढ़ाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. मु0 छोटी पुत्री पुत्री पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मोठा सिंह
4. बलजीत सिंह
5. दलीप सिंह

पिसरान गुरनाम सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेण्टस

अपील, विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2002 व डिक्री दिनांक 22.03.2002 न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया कैम्प टिब्बी वाद संख्या 179/87 उनवानी गुरनाम सिंह बनाम गुरबचनसिंह आदि एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2014

उपस्थितः–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 3, 4, 5 ।

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6

निर्णय

दिनांकः– 9.9.21

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. सं. 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 सगे भाई बहन है एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 7 वादी के पुत्र है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 तथा उनके पिता स्व. पाखर सिंह एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य थे और उनके पास पुर्वजों से प्राप्त पैतृक सम्पति थी। उसकी आय से एवं वादी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से जो आय प्राप्त हुई उससे एवं पंजाब में जो फरिकेन की संयुक्त सम्पति थी उसकी बिकी से प्राप्त राशी से वादी के पिता स्वर्गीय श्री पाखर सिंह ने 23 बीघा कृषि भूमि दिनांक 01.02.63 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की, परन्तु बेचानकर्ताओं के खाते में 21 बीघा भूमि थी जिसका इन्तकाल मुताबिक बैयनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

के दर्ज हुआ। उक्त वर्णित 21 बीघा आराजी वादी के पिता ने संयुक्त परिवार के कोष से खरीद की थी। उस समय वादी उपस्थित नहीं था [illegible]लिए बैयनामा में वादी का नाम सहबन से दर्ज नहीं करवाया गया, किन्तु वास्तव में उक्त [illegible] है एवं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बराबर के हकदार है। स्वर्गीय [illegible] वर्णित आराजी में से 5 बीघा भूमि की वसीयत प्रतिवादी सं. 5 ता 7 के हक [illegible] कर दी। प्रतिवादीगण ने उक्त संयुक्त सम्पति में वादी के हिस्से को कभी इन्कार नहीं किया और वादी के हिस्से का मुफाद उसे देते रहे इसलिए पहले कोई विवाद नहीं होने के कारण वादी ने रिकॉर्ड में दुरस्ती नहीं करवाई। उक्त संयुक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 5 ता 7 के हक में निष्पादित वसीयत की 5 बीघा भूमि को काटने के पश्चात बाकी बची 16 बीघा भूमि में से पाखर सिंह के वैध वारीसान की हैसियत से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के हकदार हैं। पाखर सिंह के देहान्त के पश्चात आराजी का इन्तकाल गलत रूप से दर्ज हुआ है एवं वादी के नाम केवल कुछ बिस्वा का ही इन्तकाल हुआ है, जिसका वादी के हक हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः वादी ने चक नम्बर 13 जी.जी.आर के कुल 5.313 हैक्टेयर आराजी में से वादी को 3 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं अलग खाता कायम किया जाकर कब्जा दिलाने तथा वादी के हिस्से का अलग से रकम राज निर्धारित किये जाने का अनुतोष चाहा। प्रतिवादी सं. 5 ता 7 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर उन्हें प्राप्त 5 बीघा भूमि का अलग से खाता कायम किये जाने एवं विकल्प में अर्जीदावा में वर्णित विवादित भूमि में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी 5 बीघा भूमि का खाता तकसीम कर अलग से खाता कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी 1 ता 3 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया कि 1953 में ही वादी में ही वादी अपने पिता एवं भाईयों से ही अलग हो गया था। पैतृक सम्पति की जो जमीन थी उसके हिस्से के जो रूपये बनते थे उसके रूपये वादी ने पहले ही ले लिए थे। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने 10 बीघा खरीदी एवं 13 बीघा भूमि प्रतिवादी 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी 1 ता 3 ने अपनी कमाई से पिता के नाम से खरीद की। लेकिन कब्जा 21 बीघा भूमि का ही दिलवाया गया था। वादी का आराजी मुतनाजा में कोई हिस्सा नहीं है। वादी एवं उसके लड़के दुरभिसंधि किये हुए है तथा हम प्रतिवादीगण से जमीन हड़पने के लिए यह दावा पेश किया है जिसे खारिज फरमाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वाद वादी एवं जवाबदावा प्रतिवादी सं. 5 ता 7 स्वीकार कर चक 13 जी.जी.आर जमाबन्दी सम्वत् 2042 खाता सं. 32/6 खाता गुरचरण सिंह आदि में दर्ज 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 7 को अपने हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का आदेश प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टिब्बी के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निर्णय दिनांक 21.03.2002 एवं डिक्री दिनांक 22.03.2002 जारी किये गये, एवं दिनांक 28.05.2014 को संशोधित आदेश जारी कर निर्णय एवं डिक्री में संशोधन किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक आदेश एवं डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ में अपील दायर की गई थी जिसमें दिनांक 19.10.2001 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलांटस खारिज होने पर द्वितीय अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर में दायर की गई जो दिनांक 09.01.2014 को खारिज होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब प्रारम्भिक डिक्री चुनौती अधीन है तो विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री जारी नहीं की जा सकती। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2001 को प्रारम्भिक डिकी जारी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested

गई एवं विभाजन प्रस्तााव तहसीलदार हल्का टिब्बी से आमंत्रित किये गये परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व हल्का तहसीलदार द्वारा अपीलांट को किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं ना ही मौका पर [illegible] बल्कि तहसील मुख्यालय पर ही रेस्सो. सं. 1 व 5 ता 7 के कहे अनुसार [illegible] लय को भिजवाया जाना प्रतीत होता है। हल्का तहसीलदार द्वारा राजस्थान [illegible] अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना यथासंभव जहां कब्जा हो उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने के प्रावधानों से परे जाकर कतई मननर्जी से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष भिजवाया गया एवं विचारण न्यायालय द्वारा भी नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित ना कर मनमाना आदेश पारित करने की गलती की है, जो निरस्ती योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में गुरनामसिंह पुत्र पोखरसिंह 0. 303 हिस्सा अंकित किया गया था जबकि अपीलाधीन निर्णय में उक्त हिस्सा बिना किसी विवेचन किये 0. 304 हिस्सा अंकित कर दिया गया एवं गुरनामसिंह, मोठासिंह, बलजीत सिंह, दलीपसिंह को विभाजन प्रस्ताव में चक 13 जी.जी.आर. पं0नं0 188/276 मु0नं0 23 किला नं0 25/0.253 है0 नहरी गै0 मु0 रास्ता, प0नं0 190/277 मु0नं0 36 किला नं0 4, 5, 7/0.759 अ0 क0 मय गै0 मु0 रास्ता पं0नं0 188/277 मु0नं0 38 4, 5/0.506, 7/0.51 नहरी मय गै0 मु0 रास्ता कुल 1.569 है0 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दी गई है। उक्त भूमि में से पं0 नं0 188/277 किला नं0 4, 5 पर मौके पर जगजीतसिंह रेस्पो0 सं0 7 काबिज है एवं प0नं0 188/277 किला नं0 7 की 0.51 पर गुरबचन सिंह अपीलांट सं0 1 काबिज है तथा प0 नं0 190/277 किला नं0 7/0.253 है0 पर हरजीत सिंह अपीलांट सं0 2 का कब्जा है। परन्तु उक्त स्थिति को देखे बिना एवं रास्ता खाला वगैरा का ध्यान किये बिना प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में सख्त गलती की है। जिससे की अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री काबिल निरस्ती है। इसके अतिरिक्त 12 वर्ष बाद डिक्री में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह अपील अन्तिम डिकी के विरूद्ध है जिसके विरूद्ध पूर्व में कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई है। अधीवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में **RRT 2021** पेज सं0 615, **RRD 2000** पेज नं0 170, **RRD 2017** पेज नं0 382 **DB**, **RRT 2019** पेज नं0 1547 **DB**, **RRT 2018** पेज नं0 801 **(supreme court)** न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेण्टस सं 3 ता 5 के पिता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व रेस्पो0 सं0 2 एक ही परिवार के सदस्य है। इनके पिता स्व. पाखर सिंह द्वारा वाद में वर्णित 21 बीघा भूमि रामचन्द्र व धर्मचन्द पिसरान मेघाराम से 01.02.63 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की। उक्त 21 बीघा भूमि स्व. पाखर सिंह ने संयुक्त परिवार के कोष से खरीद की थी। लेकिन बैयनामे में वादी का नाम सहवन से दर्ज नहीं करवाया गया। पाखर सिंह ने अपनी खरीदशुदा भूमि में से 5 बीघा भूमि की प्रतिवादी 5 ता 7 के हक में वसीयत निष्पादित कर दी, जिसका इन्तकाल हमारे नाम से हो चुका है एवं हम रिकॉर्डेड खातेदार है। लेकिन 1984 हाड़ी के पश्चात प्रतिवादी सं. 2 व 4 ने 2 बीघा भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय दिनांक 13.03. 2001 के द्वारा वादी का वाद तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 7 का काउटर क्लेम स्वीकार किया। उक्त निर्णय के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील सं. 58/2001 प्रस्तुत हुई जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने 19.10.2001 को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा। इसके पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मंडल में अपील प्रस्तुत हुई जो दिनांक 09.01.2014 को खारिज हुई उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested

संशोधन किया जा सकता है। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.03.2001 को चैलेंज किया जा चुका है इस [illegible] इसे पुनः चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 12 वर्ष बाद भी डिक्री में संशोधन किया जा [illegible] पर कब्जा दिलाने के लिए किया गया था। अपीलांट का कब्जा [illegible] विभाजन में भूमि नहीं मिलेगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत [illegible] अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र शपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के कारण अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र सशपथ होन एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज असल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां होने के कारण तथा अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 सं0 1/वादी का घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद तथा प्रतिवादी सं0 5 ता 7 का काउंटर क्लेम दिनांक 13.03.2001 को स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील सं. 58/2001 प्रस्तुत हुई जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने 19.10.2001 को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा। इसके पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मंडल में अपील प्रस्तुत हुई जो दिनांक 09.01.2014 को खारिज हुई उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब प्रारम्भिक डिक्री माननीय उच्च न्यायालय में चुनौतीधीन है तो विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन निर्णय 21.03.2002 एवं डिक्री दिनांक 22.03.2002 को पारित की गई है। जिसमें 12 वर्ष बाद दिनांक 28.05.2014 को संशोधन किया गया है जो उचित नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **RRT 2021** पेज सं0 615 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रारंम्भिक डिक्री पारित की गई हो एवं उसके विरूद्ध अपील विचाराधीन हो तो अंतिम डिक्री पारित नहीं की करनी चाहिए। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार की जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2002 एवं डिक्री दिनांक 22.03.2002 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2014 खारिज किये जाने योग्य हैं।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2002 एवं डिक्री दिनांक 22.03.2002 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2014 खारिज किय जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 9.9.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9/9/21

(करतार सिंह पूनियां आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी :- करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:22 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्या 2014/0038 (142/2014) 223 आरटीएक्ट

1. गुरबचन सिंह
2. हरजीत सिंह
3. जगजीत सिंह

पिसरान पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलाण्टस

बनाम

1. गुरनाम सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। (फौत)

   1/1. गुड्डी उर्फ नसीबकौर पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति कम्हार सिख वीपीओ ढ़ाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

2. मु0 छोटी पुत्री पुत्री पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मोठा सिंह
4. बलजीत सिंह
5. दलीप सिंह

पिसरान गुरनाम सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2002 व डिक्री दिनांक 22.03.2002 न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया कैम्प टिब्बी वाद संख्या 179/87 उनवानी गुरनाम सिंह बनाम गुरबचनसिंह आदि एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2014

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट, श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 3, 4, 5, श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2002 एवं डिक्री दिनांक 22.03.2002 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2014 खारिज किये जाते हैं। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 9.9.21 को जारी की गई।

(करतार सिंह पूनियॉं) आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़